बिहार सरकार

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

पत्रांक-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-06/2024 /पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अतिमहत्वपूर्ण

रजनीश प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

ई-मेल

अभियन्ता प्रमुख/
सभी मुख्य अभियन्ता/
सभी अधीक्षण अभियन्ता/
सभी कार्यपालक अभियन्ता/
सभी सहायक अभियन्ता/
सभी कनीय अभियन्ता,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार ।

विषयः- लघु जल संसाधन विभागान्तर्गत बिहार अभियंत्रण सेवा/बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों का SPARROW System के तहत वर्ष-2025-26 का e-PAR अभिलेखन निर्धारित समय-सीमा में करने के संबंध में ।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक-4029 दिनांक-18.06.2026 एवं 4777 दिनांक-21.07.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि लघु जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा(BES) एवं बिहार अवर अभियंत्रण संवर्ग(BSOES) के नियमित अभियन्ताओं का SPARROW System के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 का e-PAR आलेखन का कार्य प्रक्रियाधीन है । **सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-12061 दिनांक-07.07.2026 के माध्यम से प्रतिवेदित पदाधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन(Self Appraisal) भरकर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Online Forward किये जाने की अंतिम तिथि-31.07.2026 निर्धारित है ।**

2. उल्लेख करना है कि 96(02 कार्यपालक अभियन्ता, 01 सहायक अभियन्ता एवं 93 कनीय अभियन्ता)(सूची संलग्न) प्रतिवेदित पदाधिकारियों द्वारा SPARROW System के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 का e-PAR आलेखन निमित्त स्वमूल्यांकन(Self Appraisal) भरकर प्रतिवेदक पदाधिकारी को Online Forward नहीं किया गया है । उक्त 93 कनीय अभियन्ताओं में से 48 अभियन्ता पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त हैं ।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर e-PAR आलेखन निमित्त Self Appraisal भरकर Reporting Officer को Online Forward करना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही नियंत्री पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वैसे कनीय अभियन्ताओं, जिनके द्वारा Self Appraisal भरकर Reporting Officer को Online Forward नहीं किया गया है, उन्हें दिनांक-31.07.2026 तक निश्चित रूप से उक्त कार्य का निष्पादन करने हेतु निदेशित किया जाय । निर्धारित समय-सीमा में उक्त कार्य का निष्पादन नहीं किये जाने पर संबंधित अभियन्ताओं का वेतन अवरूद्ध करने की कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(रजनीश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग ।

कृ0पृ0उ0

e:\official document 13.11.2024\suman ji file 03.07.2026\official letter folder\new office letter 25.02.26.docx

7

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, SPARROW Portal(PMU), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक- 4968 /पटना, दिनांक- 28/7/26

प्रतिलिपि- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव-सह-PAR CUSTODIAN/आई0टी0 मैनेजर-सह-PIMS CREATOR, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर से अनुरोध है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।

28.7.26

सरकार के अवर सचिव ।